# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

कैलाश कुंवर ........ विपक्षी ........ फुल कुंवर वगै.

मुकदमा ........ प्रा.पत्र ........ पत्रावली संख्या ........ 2022/66 ........ पद........

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | ~~2016~~<br>17/6/25 पत्रावली पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार. आयंदा दि. 25/6/25 को पेश हो। | |
| | 25/6/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते बहस आयंदा तारिख 30/7/25 को पेश हो। | |
| | 30/7/25 पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है। अत: पत्रावली दि. 5/8/25 को पेश हो। | |
| | 5/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उपस्थित अधि. प्रार्थी ने सुगना कंवर, कैलाश कुंवर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अधि. प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 12/8/25 को पेश हो। | कैलाश कुंवर<br>सुगना कुंवर<br>Id<br>Sh Ag |
| | 12/8/25 पत्रावली पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दि. 13/8/25 को पेश हो। | |
| | 13/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उप.। अधि. प्रार्थी की एक तरफा बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी व विपक्षीगण की खातेदारी भूमियो के मध्य सीमाओं का विवाद है कोई स्थाई चिन्ह नहीं है। जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराना | |

पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी
महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है।
अतः पत्रावली दि. ........... को पेश हो।

चाहता है। वैसे भी विधि से प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन करवाये जाने का अधिकार निहित है। जिससे प्रार्थी का प्रा०पत्र न्याय संगत होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कल्सा खेडी बडला वाली तहसील नाथद्वारा स्थित प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 03 की खामलाती आराजी संख्या 187/1 तथा विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी संख्या 184/1 के मध्य पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार नाथद्वारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षों को सूचित करते हुए बिना किसी का कब्जा प्रभावित किये पक्षकारान के मध्य पत्थरगढी कराया जाना सुनिश्चित करें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उषा पारिक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)